संख्या– 886 /XV-1/15/2(85)/05

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पशुपालन अनुभाग–1 देहरादून : दिनांक 8 अक्टूबर ~~सितम्बर~~, 2015

विषयः जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समितियों को पुनर्गठित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 की धारा–38 के तहत "पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (पशुओं के प्रति क्रूरता के निवारण के लिए सोसाइटियों का गठन एवं विनियमन) नियम, 2001" के नियम 3(2), 3(2)(i), 3(2)(ii) के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–340/XV-1/10/2(85)/05 दिनांक 25 फरवरी, 2009 एवं शासनादेश संख्या–3063/XV-1/10/2(85)/05 दिनांक 04 जनवरी, 2011 को अतिक्रमित करते हुए जनपदीय पशुक्रूरता निवारण समितियों को निम्न प्रकार से पुनगर्ठित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

क्र० सं०	पदनाम	प्रबन्ध समिति में दायित्व
1	जिला अधिकारी	पदेन अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक	पदेन उपाध्यक्ष
3	मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठन के प्रतिनिधि सदस्य/मानव कल्याण कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठित व्यक्ति/रोटरी क्लब/लायन्स क्लब के सक्रिय सदस्यों में से जिलाधिकारी द्वारा नामित एक सदस्य	नामित गैर सरकारी उपाध्यक्ष
4	मुख्य पशुचिकित्साधिकारी	पदेन सदस्य सचिव
5	मान्यता प्राप्त पशु कल्याण संगठनों के प्रतिनिधि सदस्य/मानवाधिकार कार्यों में संलग्न प्रतिष्ठित व्यक्ति/भा०जी०ज०क०बोर्ड के मानद पशुकल्याण अधिकारी में से एक सदस्य	नामित गैर सरकारी अधिशासी सचिव
6	वन विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी	पदेन सदस्य
7	शिक्षा विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी	पदेन सदस्य
8	जिले के स्थानीय निकायों के समस्त अधिशासी अधिकारी	पदेन सदस्य
9	भा०जी०ज०क० बोर्ड के नामित प्रतिनिधि	नामित सदस्य
10	जिले के उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड के प्रतिनिधि सदस्य	पदेन सदस्य
11	एस०पी०सी०ए० के साधारण निकाय (जनरल बॉडी) द्वारा निर्वाचित चार गैर सरकारी सदस्य	गैर सरकारी निर्वाचित सदस्य
12	जिला अभियोजन अधिकारी	पदेन सदस्य
13	महानिदेशक, सशस्त्र सीमा बल द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य

2. उक्त समितियों को पुनर्गठित करते समय से यह अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि समितियों में पशु कल्याण के क्षेत्र में समर्पित रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को ही गैर सरकारी उपाध्यक्ष नामित किया जाए।

3. समस्त मनोनीत सदस्यों का मनोनयन एस०पी०सी०ए० के अध्यक्ष द्वारा कर लिया जाए।

4. एस०पी०सी०ए० के पंजीकरण के उपरान्त एस०पी०सी०ए० की साधारण निकाय (जनरल बॉडी) की बैठक में प्रबन्ध समिति के चार गैर सरकारी प्रतिनिधि सदस्यों का निर्वाचन करा लिया जाय।

5. एस०पी०सी०ए० के नामित सदस्यों तथा निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अथवा 03 (तीन) वर्ष जो भी पहले हो, के लिए होगा।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 886 (1)/XV-1/2015 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा० पशुपालन मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन को प्रमुख सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. सचिव, उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(महावीर सिंह चौहान)
उप सचिव